

राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन)

जबकि, कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) एक नवीन गंभीर तीक्ष्ण श्वसन रोग है जो व्यक्तियों में श्वसन संचारों के माध्यम से फैल सकता है और इन्फ्लुएंज़ा जैसे लक्षण उत्पन्न करता है; और,

जबकि, COVID-19 के परिणामस्वरूप कुछ जनसमूह अधिक गंभीर रूग्णता का अनुभव करने के उच्चतर जोखिम में हैं, जिनमें वृद्ध वयस्क एवं गंभीर दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह, फेफड़ों के रोग या अन्य स्थितियों से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य यह देखते हुए कि यह एक अभिनव रोग है और यह कि यह वृद्धजनों एवं गंभीर दीर्घकालिक चिकित्सीय स्थितियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए किस प्रकार के जोखिम उत्पन्न करता है, समस्त संभावनाओं हेतु तैयारी करने के अपने प्रयास जारी रखे हुए है; और,

जबकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन) ने 30 जनवरी, 2020 को कोविड-19 (COVID-19) को अंतरराष्ट्रीय चिंता वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया था, और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य एवं मानव सेवाएं सचिव (यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेस) ने 27 जनवरी, 2020 को यह घोषणा कर दी थी कि कोविड-19 (COVID-19) एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल प्रस्तुत करता है; और,

जबकि, 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन) ने कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप को एक वैश्विक महामारी के रूप में अभिलक्षित किया था, और वह 31 मार्च, 2020 तक पूरे विश्व में कोविड-19 (COVID-19) के 7,50,000 से अधिक पृष्ठ मामले एवं कोविड-19 (COVID-19) पर आरोप्य 36,500 मृत्यु सूचित कर चुका है; और,

जबकि, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC) वर्तमान में यह अनुशंसा करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के समस्त निवासी कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सावधानियां बरतें जिनमें यह शामिल है कि वे: (1) अन्य लोगों से 6 फीट की दूरी बनाए रखते हुए सामाजिक दूरी को व्यवहार में लाएं और एक जगह एकत्र न हों; (2) बुखार, खांसी, या सांस फूलना जैसे लक्षणों के प्रति सतर्क रहें, और यदि लक्षण विकसित होते हैं तो अपना तापमान मापें; और (3) उपयुक्त स्वच्छता को व्यवहार में लाएं, जिसमें खांसते व छींकते समय मुंह व नाक को टिश्यू से ढकना, हाथों को बार-बार साबुन व पानी से कम-से-कम 20 सेकंड तक धोना, यदि साबुन व पानी आसानी से उपलब्ध न हों तो कम-से-कम 60% एल्कोहल युक्त, एल्कोहल-आधारित हैंड सेनिटाइज़र्स का उपयोग करना, और बार-बार छुई जाने वाली सतहों एवं वस्तुओं की नियमित रूप से सफाई करना शामिल है, ताकि रोग के प्रकोप पर प्रतिक्रिया देने के लिए समुदाय की वापस उठ खड़े होने की क्षमता को और तैयारी को बढ़ाया जा सके; और,

जबकि, CDC परिवार के सदस्यों के लिए, देखभालकर्ताओं के लिए, और लक्षण दर्शाने वाले व्यक्ति से निकट संपर्क रखने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए, लक्षणों का आरंभ होने से पहले के 48 घंटों से लेकर जब तक लक्षण दर्शाने वाला व्यक्ति घर पर एकांतवास (आइसोलेशन) खत्म करने के मानदंडों को संतुष्ट न कर दे तब तक की अवधि के दौरान, निम्नलिखित सावधानियों की भी अनुशंसा करता है: (1) अंतिम रोग-संपर्क के बाद 14 दिनों तक घर पर ही रहें और सारे समय अन्य लोगों से सामाजिक दूरी (कम-से-कम 6 फीट) बनाए रखें; (2) लक्षणों के लिए स्वयं की निगरानी करें, जिसमें दिन में दो बार अपना तापमान मापना और बुखार, खांसी, या

सांस फूलने के प्रति सजग रहना शामिल है; और (3) गंभीर रोग के उच्च जोखिम वाले लोगों के संपर्क से बचें (बशर्ते वे उसी घर में न रहते हों और उसी रोग-संपर्क में न आए हों); और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) के लिए कोई टीका (वैक्सीन) या दवा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है; और,

जबकि, COVID-19 को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद, विश्व स्वास्थ्य संगठन और CDC संकेत देते हैं कि इसके फैलने के जारी रहने की उम्मीद है; तथा,

जबकि, 31 मार्च, 2020 को इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के 5,994 पुष्ट मामले थे और कोविड-19 (COVID-19) के कारण 99 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) के प्रकोप के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय नकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ा है, जिसमें आय एवं वेतन की हानि शामिल है, जो संपूर्ण इलिनॉय में व्यक्तियों और व्यापारों के लिए आवास सुरक्षा एवं स्थायित्व के तथा संपूर्ण वित्तीय स्थायित्व एवं सुरक्षा के दुर्बल होने का जोखिम उत्पन्न करती है; और,

जबकि, 13 मार्च, 2020 को राष्ट्रपति ने सभी राज्यों एवं राज्य क्षेत्रों, जिनमें इलिनॉय शामिल है, को कवर करने वाले रॉबर्ट टी. स्टैफ़र्ड आपदा राहत एवं आपातकालीन सहायता अधिनियम (Robert T. Stafford डिज़ास्टर रिलीफ़ एंड एमरजेंसी असिस्टेंस एक्ट), 42 U.S.C. 5121-5207 ("स्टैफ़र्ड अधिनियम") के अनुभाग 501(b) के अनुसरण में राष्ट्रव्यापी आपातकाल घोषित कर दिया था; और,

जबकि, 26 मार्च, 2020 को राष्ट्रपति ने स्टैफ़र्ड अधिनियम के अनुभाग 401 के अनुसरण में इलिनॉय में प्रमुख आपदा घोषित कर दी थी; और,

जबकि, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में 9 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, पूर्वोक्त के आधार पर, कोविड-19 (COVID-19) के चलते जो परिस्थितियां बन गई हैं वे इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट) के अनुभाग 4 के अंतर्गत एक निरंतर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का गठन करती हैं; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) के चलते जो परिस्थितियां बनी हैं उनके कारण, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट) के अनुभाग 4 के अंतर्गत जीवन व संपत्ति की व्यापक एवं गंभीर क्षति, चोट, व हानि हुई है व होने का जोखिम का उत्पन्न हुआ है; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य की यह नीति है कि राज्य किसी भी आपदा को संभालने के लिए तैयार रहेगा और, अतः राज्य के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व उपयुक्त है कि कोविड-19 (COVID-19) के प्रभावों की गंभीरता को अधिकतम संभव सीमा तक घटाया व न्यूनतम किया जा सके और यह कि इलिनॉय वासी सुरक्षित रहें; और,

जबकि, यह उद्घोषणा इलिनॉय राज्य में कोविड-19 (COVID-19) के संभावित प्रभाव के संबंध में जो भी कार्रवाई आवश्यक हो सकती हो उसके लिए तैयारी करने में स्थानीय सरकारों की सहायता करने के लिए इलिनॉय के अभिकरणों (एजेंसियों) को राज्य एवं

संघीय संसाधनों के समन्वयन में सहायता देगी, जिसमें दवाओं व सुरक्षा उपकरणों का रणनीतिक राष्ट्रीय भंडार (स्ट्रेटजिक नेशनल स्टॉकपाइल) शामिल है; और,

जबकि, ये स्थितियां इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट) के अनुभाग 7 के अंतर्गत आपदा की उद्घोषणा जारी करने का विधिक औचित्य प्रदान करती हैं;

अब, अतः, इलिनॉय के लोगों और सार्वजनिक स्वास्थ्य व सुरक्षा हेतु उत्तरदायी स्थानीय सरकारों की सहायता के हित में, मैं, जे बी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), एतद्वारा निम्नवत उद्घोषणा करता हूँ:

अनुभाग 1. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 के उपबंधों के अनुसरण में, मैं यह पाता हूँ कि इलिनॉय राज्य में एक निरंतर आपदा अस्तित्व में है और मैं विशिष्ट रूप से इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूँ। यह उद्घोषणा राज्यपाल (गवर्नर) के, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20, ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 में प्रदत्त समस्त आपातकालीन शक्तियों, जिनमें नीचे वर्णित विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां शामिल हैं पर वे उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के उपयोग के प्राधिकार को जारी रखती है।

अनुभाग 2. इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल हेतु योजना बनाने और उस पर प्रतिक्रिया देने के संदर्भ में एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखें।

अनुभाग 3. इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के संबंध में जन स्वास्थ्य की रक्षा की रणनीतियों और योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन में राज्यपाल (गवर्नर), अन्य राज्य अभिकरणों एवं स्थानीय प्राधिकरणों, जिनमें स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण शामिल हैं, के साथ सहयोग करता रहे।

अनुभाग 4. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी) को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आपदा प्रतिक्रिया और बहाली संचालनों में स्थानीय सरकारों की सहायता हेतु राज्य के संसाधनों का समन्वयन करने के लिए राज्य आपातकालीन संचालन योजना (स्टेट एमरजेंसी ऑपरेशंस प्लान) कार्यान्वित करना जारी रखे।

अनुभाग 5. प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक आपातकालीन खरीद, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट) द्वारा यथा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियों के संबंध में सहायता देने के लिए, इलिनॉय अधिप्राप्ति संहिता (प्रोक्योरमेंट कोड) के वे उपबंध जो आपदा का सामना करने में आवश्यक कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों, उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं जिस सीमा तक वे संघीय कानून द्वारा आवश्यक नहीं किए गए हैं। यदि आवश्यक हो तो, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20, ILCS 3305/7(1) के अनुभाग 7(1) के अनुसरण में, राज्यपाल (गवर्नर) अतिरिक्त संविधियों, आदेशों, नियमों, और विनियमों को स्थगित करने के लिए उपयुक्त कार्यकारी कार्रवाई कर सकता है।

अनुभाग 6. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20, ILCS 3305/7(3) के अनुभाग 7(3) के अनुसरण में, यह उद्घोषणा राज्यपाल (गवर्नर) के, आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों को निष्पादित या सुगमित

करने के उद्देश्य से राज्य के विभागों और उनके अभिकरणों या इकाइयों के निर्देश, कार्मिकों या प्रकार्यों को स्थानांतरित करने के प्राधिकार को, आवश्यकतानुसार, जारी रखती है।

अनुभाग 7. इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ), इलिनॉय बीमा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ इश्योरेंस), और इलिनॉय स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थकेयर एंड फ़ेमिली सर्विसेज़) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करने, कि उपभोक्ताओं को कोविड-19 (COVID-19) की पहचान करने वाली परीक्षण एवं उपचार सेवाओं का उपयोग करने में वित्तीय बाधाओं का सामना न करना पड़े, के लिए आवश्यक कार्रवाइयों की अनुशंसा करना और, उपयुक्ततानुसार, वे कार्रवाइयां करना जारी रखें।

अनुभाग 8. इलिनॉय राज्य शिक्षा बोर्ड (स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन) को निर्देश दिया जाता है कि वह कोविड-19 (COVID-19) के संचरण के कारण दीर्घकालिक अनुपस्थितियों पर ध्यान देने के लिए/का हल निकालने के लिए, और इस उद्घोषणा के प्रभावी रहने के दौरान ई-अधिगम (ई-लर्निंग), जो इलिनॉय स्कूल संहिता (स्कूल कोड), 105 ILCS 5/1-1 एवं अनुवर्ती, में विद्यमान है, के उपयोग में जो भी बाधाएं हों उन्हें घटाने के लिए, आवश्यक कार्रवाइयों की अनुशंसा करना, और, उपयुक्ततानुसार, वे कार्रवाइयां करना जारी रखें।

अनुभाग 9. राज्य के सभी अभिकरणों (एजेंसियों) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे कोविड-19 (COVID-19) के आर्थिक प्रभाव का सामना करने और उससे उबरने की रणनीतियों एवं योजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन में राज्यपाल (गवर्नर), अन्य राज्य अभिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों का सहयोग करें।

अनुभाग 10. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20, ILCS 3305/7(14) के अनुभाग 7(14) के अनुसरण में, इलिनॉय राज्य में वस्तुओं या सेवाओं, जिनमें चिकित्सीय आपूर्तियां, सुरक्षा उपकरण, दवाएं और वे अन्य उपयोगी वस्तुएं शामिल हैं जो कोविड-19 (COVID-19) की रोकथाम या के उपचार और उससे उबरने/स्वास्थ्य लाभ करने के लिए अभीष्ट हैं, के विक्रय मूल्य में इस उद्घोषणा के प्रभावी रहने के दौरान वृद्धि करना निषिद्ध रहेगा।

अनुभाग 11. यह उद्घोषणा संघीय आपातकालीन और/या आपदा सहायता के अनुरोधों को सुगम कर सकती है, बशर्ते क्षति का पूर्ण व व्यापक आकलन यह इंगित करे कि प्रभावी बहाली राज्य और प्रभावित स्थानीय सरकारों की क्षमताओं से परे है।

अनुभाग 12. यह उद्घोषणा तत्काल प्रभावी होगी और 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी।